भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2841
उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

वृद्धावस्था पेंशन का वितरण

2841. डॉ. संघमित्रा मौर्य :
श्री सुरेश कश्यप :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में डाकियों द्वारा घर-घर जाकर दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन को पिछले दस महीनों से रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) एवं (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने डाक विभाग के साथ पूर्व में किए गए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण नहीं किया है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे :-

(i) 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के लाभार्थियों तथा 70% और इससे अधिक की निशक्तता वाले पेंशनभोगियों को डाकघरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों का उनके द्वार पर भुगतान।

(ii) विधवा पुनर्विवाह या लाभार्थी के एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्टिंग या निशक्तता में परिवर्तन होने के संबंध में सूचना संबंधी प्रावधान।

(iii) लाभार्थियों के जीवन प्रमाण-पत्र संबंधी प्रावधान।

(iv) लाभार्थी की मृत्यु के बाद की अवधि से संबंधित पेंशन का रिफंड।

*****